



“किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम जी”

डॉ. सुषमा देवी, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र

शोध-आलेख सार

“खुदी को कर बुलन्द इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है” कवि इकबाल के इस शेर से किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने वाले चौधरी छोटूराम युग पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। चौधरी छोटूराम हरियाणा के प्रमुख राजनेता तथा विचारक थे। किसान तथा कृषि की दशा को सुधारने में चौधरी छोटूराम ने अतुलनीय योगदान दिया। किसान एवं गरीब वर्ग के बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करने व मजदूर किसानों को अंग्रेज अधिकारियों के शोषण से बचाने हेतु दीन बन्धु छोटूराम ने अहिंसक क्रान्ति का सूत्रपात किया। छोटूराम जी का मत था – हमारे आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु किसान है। उसकी उन्नति सबको दिल से चाहनी चाहिए। क्योंकि यदि किसान का बुरा हाल है तो सबका बुरा हाल है तथा किसान समृद्ध है तो सब समृद्ध है। यदि किसान बचता है तो सब बच सकते हैं और यदि किसान बरबाद होता है तो उसकी बरबादी में सबकी बरबादी है। बचपन में आर्थिक विषमता का दंश झेल रहे चौधरी छोटूराम ने कमेरे वर्ग को सशक्त बनाने का हर सम्भव प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें ‘सर’ की उपाधि से विभूषित किया और जन साधारण ने उन्हें रहबरे आजम, किसान मसीहा और दीनबन्धु का नाम दिया।

मुख्य शब्द- किसान, कमेरा, कृषि-सुधार, संघर्ष, चौधरी छोटूराम

जन्म तथा शिक्षा-

अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ कृषि और उद्योग उन्नति की चरम सीमा पर थे। परन्तु अंग्रेजों ने आकर यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा कृषि को छिन्न-भिन्न कर दिया। कृषि के क्षेत्र में कोई विकास न होने के कारण कृषक वर्ग तथा खेतीहर मजदूर खून पसीना बहाने के बाद भी भरपेट खाने के लिए तरसते थे। हरियाणा प्रदेश में किसानों की दशा और भी बदतर थी। यहाँ के किसान सरकार के शोषण से बुरी तरह पीड़ित थे। एक तो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार तथा अंग्रेजों द्वारा कठोरता से लगान वसूलना तथा चौथे पाँचवें साल किसी न किसी प्रकार का अकाल आ पड़ता था। जिससे किसानों की दशा और भी खराब हो गई। 1857 के विद्रोह में जब अंग्रेजों की जीत हुई तो सरकार ने शोषण का जुआ और भी अधिक भारी कर दिया।

हरियाणा के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे। अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि अब हरियाणा में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी समय 24 नवम्बर 1881 को रोहतक के गढ़ी-सांपला में ओहलान गोत्रीय जाट किसान चौ. सुखीराम के घर एक बालक का जन्म हुआ। ये अपने भाईयों में सबसे छोटा होने के कारण सारे परिवार के लोग इन्हे छोटू कहते थे। उनका वास्तविक नाम रिछपाल था। स्कूल रजिस्टर में भी उनका नाम छोटूराम लिख दिया गया। इसलिए ये महापुरुष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए। जब इनका जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था कि गढ़ी-सांपला के गली-मुहल्ले में पला-बढ़ा बालक कमेरे वर्ग का मुक्तिदाता तथा मसीहा बनेगा।

अपनी प्राइमरी शिक्षा चौधरी छोटूराम ने झज्जर से ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया। लेकिन इनके समक्ष फीस और शिक्षा का खर्च वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। महाजन किस तरह से गरीब किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा छोटूराम जी ने तब देखा जब ये एक बार अपने पिता के साथ एक महाजन के पास गए हुए थे। यहीं से छोटूराम जी के जीवन में परिवर्तन आया तथा इनके मन में पहली बार क्रान्तिकारी विचारों ने जन्म लिया।

उसके बाद क्रिश्चियन मिशन स्कूल के प्रभारी के विरुद्ध छोटूराम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालन को देखकर छोटूराम जी को स्कूल में जनरल रोबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन् 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट एटीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अपने जीवन के आरम्भिक वर्षों में ही वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी।

अनेक आर्थिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने 1911 में लॉ ग्रेजुएट की परीक्षा उर्तीण की तथा आगरा में वकालत करने लगे। वहाँ रहकर उन्होंने मेरठ और आगरा डीविजन की सामाजिक दशा का अध्ययन किया चौधरी छोटूराम जी ने कमेरे वर्ग के लोगों की दयनीय दशा देखी तथा किसानों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। 1912 में छोटूराम जी ने जाट सभा का गठन किया तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक जाट सैनिक सेना में भर्ती करवाये।

किसान हितकारी कार्य-

अब चौधरी छोटूराम की पहचान एक महान क्रान्तिकारी नेता तथा समाज सुधारक की बनने लगी। वर्ष



1924 में जब वे कृषि मंत्री बने तो नौकरशाही में भारी हलचल मच गई। उन्होंने कृषि मन्त्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के मण्डी शहर में 65 करोड़ रुपये की लागत से जल विद्युत परियोजना प्रारम्भ की। देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती हेतु देहाती सामुदायिक परिषद् व लाहौर में सेनेटरी बोर्ड स्थापित किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में किसान परिवार के बच्चों की भर्ती को सुनिश्चित किया। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए तहसीले व खण्ड स्तर पर पशु चिकित्सालय खुलवाए।

चौधरी छोटूराम ने वकालत का ज्ञान भारी भरकम फीस वसूलने के लिए बल्कि कमरे वर्ग को अधिकारों के लिए लड़ने व उन्हें शोषण से मुक्त करवाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने झूठे मुकद्दमों न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवकिलों के साथ अच्छा व्यवहार करना अपने वकालती जीवन के आदर्श बनाए।

समाचार पत्रों में योगदान—

समाज में जागृति लाने हेतु चौधरी छोटूराम ने जाट गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। यह पत्र प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। अभी भी इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता है तथा अब इसने डिजिटल रूप ले लिया है। शुरू में इसके खर्च के लिए 1500 रुपये मातनहेल के राय बहादुर चौधरी कैन्हेयालाल द्वारा पहले प्रकाशन के लिए दिए गए थे। इसके माध्यम से चौधरी छोटूराम जी ने ग्रामीण जन-जीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर अपने विचार दिए। इसके द्वारा छोटूराम जी ने किसानों को सही जीवन जीने का मूलमन्त्र दिया। इसके द्वारा चौधरी छोटूराम जी ने उन बहियों का विरोध किया जिनके जरिए गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखा जाता था। उन सब बातों का विरोध किया जो किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे तथा किसानों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डटकर प्रचार किया।

किसानों की समस्याएं—

उस समय पंजाब की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि कार्य था और सुविधाओं के अभाव में किसान वर्ग गरीबी से जुझता रहता था। किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई सुविधा की कमी थी। अंग्रेजी सरकार सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए छोटे-छोटे प्रयास करती रहती थी लेकिन उनके परिणाम इतने अच्छे नहीं थे। अब चौधरी छोटूराम ने किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने के अनेक प्रयत्न किए जैसे किसानों को तकनीकी जानकारी देना, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाने की जानकारी देना, खेतों में नई किस्में की खादों तथा बीजों का प्रयोग करना किसानों का सिखाया गया।

किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी कार्य—

सन् 1901 के कानून के अनुसार कृषि योग्य भूमि केवल जमींदारों को ही बेची जा सकती थी तथा गैर जमींदार जातियों पर पाबन्दी लगाई गई थी। इस कानून में 1907 में संशोधन करके इसके अन्तर्गत कब्जे के अधिकार का मान्यता दी गई।

कर्जा माफी अधिनियम—

चौधरी छोटूराम ने 1935 में किसानों को सूदखोरों के चुंगल से मुक्त करवाने के लिए एक कर्जा माफी अधिनियम पारित करवाया जिसके अन्तर्गत अगर कर्जे का दुगना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी को ऋण मुक्त समझा जाएगा। इसके लिए कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए। एक नियम ये भी लागू किया गया कि दुधारू पशु, बछड़ा, रेहड़ा घेर ऊंट ये सब अजीविका के साधन होते हैं इसलिए उनकी नीलामी नहीं की जा सकती।

पंजाब ऋण राहत कानून—

इसके बाद पंजाब कौंसिल में सरकार की तरफ से सन् 1934 में पंजाब ऋण राहत बिल प्रस्तुत किया गया और ये बिल 8 अप्रैल 1935 को कानून बनकर पंजाब में लागू हुआ। ये बिल ऋण में फंसे हुए किसानों को राहत दिलाने का प्रयास था। किसानों को ऋण की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए चौधरी साहब ने बिल पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य उन लाखों देहातियों को लाभ पहुंचाना है और सूदखोर तथा साहूकारों के उन हथकण्डों को निरस्त करना है जो वे किसानों का शोषण करने के लिए अपनाते हैं।

गिरवी रखी जमीनों को वापिस दिलवाना—

इस कानून के तहत जो जमीनें 37 सालों से गिरवी चली आ रहीं थी वो सारी जमीनें किसानों को वापिस दिलवाई गई। इस कानून के तहत उस जमीन से साहूकार मूलराशि का दुगना धन प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए जमीन पूर्ण रूप से किसानों का वापिस करनी पड़ेगी।

व्यवसाय श्रमिक अधिनियम—

यह कानून उन मजदूरों के लिए था जिनसे बंधुआ मजदूरी ली जाती है। इस कानून के अन्तर्गत 14 साल



से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। वर्ष भर में 14 अवकाश दिया जाएगा। जुमाने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए प्रयोग की जाएगी।

कृषक सहायता कोष—

चौधरी छोटूराम जी को पता था कि किसानों पर कुछ आपदाएं ऐसी आती हैं जिनका पूर्वाभाष नहीं होता क्योंकि आपदाएं प्राकृतिक होती हैं जैसे बाढ़ आना, सुखा पड़ना, ओले पड़ना आदि। किसानों को इन आपदाओं से बचाने के लिए पंजाब रिलीफ फण्ड की स्थापना की गई। ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए दिया गया रूपया वापिस नहीं लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई। अपने अनाज को किसान मंहगा होने तक घर में नहीं रख सकते थे। इसके लिए सरकार ने माल गोदाम बनवाए। इनका किराया भी साधारण होता है।

भाखड़ा बांध योजना—

भाखड़ा बांध योजना को अस्तित्व में लाने में चौधरी छोटूराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। निकलसन नामक एक अंग्रेज इंजीनियर ने भाखड़ा बांध योजना द्वारा पंजाब के सुखे जिलो रोहतक और हिसार को पानी सुलभ कराने का प्रस्ताव सुझाया था। यह योजना कई वर्षों तक कागजों में दबी रही। कृषि मन्त्री बनने पर चौधरी छोटूराम ने भाखड़ा बांध को पुनर्जीवित करने के प्रयास आरम्भ किए।

निष्कर्ष—

चौधरी छोटूराम जी ने कृषि सुधारों में जो योगदान दिया वह अतुलनीय है। वे कहते थे कि किसानों का अन्नदाता तो कहते हैं लेकिन यह कोई नहीं देखता कि वह अन्न खाता भी है या नहीं जो कमाता है वही भूखा रहे ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है।

वास्तव में दीन बन्धु छोटूराम ने कमेरे वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने व उन्हें शोषण से मुक्त करवाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने काल मार्क्स की तरह क्रान्तिकारी विचारों से मजदूर वर्ग को जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। जिस प्रकार 20वीं शदी में हुई रूस और चीन की क्रान्ति को भूलाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार दीन बन्धु छोटूराम द्वारा कमेरे वर्ग का शोषण मुक्त करने के लिए की गई अहिंसक क्रान्ति को कम नहीं आंका जा सकता। उनमें चारित्रिक दृढ़ता राजनीतिक सूझ-बूझ थी। वे एक महान इंसान थे। वे मानव और मानवता में गहरा विश्वास रखते थे। उन्होंने मजदूरों व किसानों को आत्मनिर्भर व खुशहाल बनाने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व वैचारिक क्रान्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

सन्दर्भ—

1. के. सी. यादव, हरियाणा: स्टडीज इन हिस्ट्री एण्ड कल्चर।
2. रघुवीर सिंह चौधरी, छोटूराम: जीवन-चरित।
3. के.सी. यादव— हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति पृष्ठ संख्या— 228।
4. के.सी. यादव— हरियाणा में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास— पृष्ठ संख्या— 97।
5. चाहर, आजाद सिंह—झज्जर इतिहास के आइने से।
6. विधार्थी डॉ. धर्मदेव— 'क्रान्तिवीर' प्रथम संस्करण।
7. कुण्डू डॉ. धर्मवीर— छोटूराम भारती भूमिका।